भारत

कंट्रीफैक् टशीट (देशकेतथ्योंपरएकनजर) 2024

Funded by:

Federal Office for Migration and Refugees

RETURN

IOM UN MIGRATION

प्रकाशन

International Organization For Migration (IOM) Germany

Charlottenstraße 68
10117 Berlin
Germany
T. +49 911 43 000
F. +49 911 43 00 260

iom-germany@iom.int
https://germany.iom.int/

This project is funded by the German Federal Office for Migration and Refugees (BAMF).

आईओएम ने बडी देखभाल के साथ हर सूचना एकत्रति की है। आईओएम अपनेसर्वोत्तम ज्ञान और सभी वर्व्वेक के साथ ये जानकारी प्रदान करता है। फफर भी] आईओएम अपने द्र्वारा प्रदान की गई जानकारी की शुद्धता के ललए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। इसके अलार्वा] आईओएम फकसी भी ननष्कर्ष या फकसी भी पररणाम के ललएउत्तरदायी नहीं होगा] जो आईओएम द्र्वारा प्रदान की गई जानकारी से खींचा गया है।
अधकि जानकारी के लिए कृपया जमकनी से स्वैच्छकि
स् वदेश वापसी और पुनसकमेकन वापसी के सूचना पोटकि पर जाएँ:
https://www.returningfromgermany.de/en/countries/india

Published: July 2024 - Please note that information provided herein may be outdated due to dynamic developments in the country.

वषिय सूची

1. स्वास्य सेवा

2. र्‍ृम बाजार

3. आवास

4. समाज कल्याण

5. वशक्षा

6. बच्चे

7. संपकव

8. एक नजर में

स्वास्थ्य सेवा के बारे में सामान्य जानकारी

भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की संरचना बहुआयामी है। इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने शामिल हैं। ये विभिन्न स्वामित्व संरचनाओं के भीतर विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों और सुविधाओं का अभ्यास करते हैं। भारतीय संविधान के तहत, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल सहित स्वास्थ्य सेवा के अधिकांश पहलुओं पर अलग-अलग राज्यों को प्राथमिक अधिकार दिया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की एक खास खूबी यह है कि जिन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम हैं, जिनमें से अधिकांश निवारक और प्रोत्साहक प्रकृति के हैं, जैसे चयनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, परिवार नियोजन और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम (गर्भनिरोधक, प्रतिरक्षण, प्रसव-पूर्व सेवा आदि)। कई अलग-अलग प्रीमियम भुगतान के साथ विभिन्न निजी और सार्वजनिक कंपनियों के माध्यम से आम आबादी के लिए स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध है। कुछ प्रमुख स्वास्थ्य बीमा प्रदाता हैं: जनरल इंश्योरेंस, भारती एएए, एचडीएफसी एर्गो, बजाज, रेलिगेयर, अपोलो म्यूनिख, न्यू इंडिया एश्योरेंस, मैक्स बूपा आदि। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित प्रमुख कार्यक्रमों की सूची यहाँ मिल सकता है:

https://www.mohfw.gov.in/

इन बीमा प्रदाताओं की वेबसाइटों पर अधिक जानकारी मिल सकती है। लाभ: सरकारी अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुफ्त या न्यूनतम शुल्क पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं। ऐसे कई धर्मार्थ संस्थान भी हैं जो किफायती उपचार प्रदान करते हैं। निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रक तुलनात्मक रूप से महंगा है, और बजाय बीमा के माध्यम से अधिकांश स्वास्थ्य सेवा का खर्च मरीजों और उनके परिवारों को उठाना पड़ता है। आम तौर पर इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए वैध पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस) की आवश्यकता पड़ सकती है। लागत: भारत में मरीजों की सार्वजनिक अस्पतालों में रियायती स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच होती है। हालांकि, दवाएं बेहद मामूली दरों पर उपलब्ध हैं और अक्सर व्यक्तिगत रूप से खरीदनी पड़ती हैं। पहुँच: सरकारी की समाज उन्मुख सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना में केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले भारतीय नागरिकों को शामिल किया गया है। http://www.rsby.gov.in/about_rsby.aspx

आयुष्मान भारत PM-JAY वह स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। https://pmjay.gov.in/about/pmjay

चिकित्सा सुविधाओं और चिकित्सकों की उपलब्धता

सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और उप केंद्र राज्य के स्वामित्व वाली ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, जो भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की सबसे बुनियादी इकाई भी हैं। व्यापक रूप से भारत के सभी गाँवों के पास ये क्लीनिक उपलब्ध हैं। ये देश में सरकार द्वारा वित्त पोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का भाग हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2021-2022 के अनुसार, मार्च, 2022 तक, देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 157935 और 3894 उप केंद्र (एससी), 24935 और 6118 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और 5480 और 584 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) हैं। इन PHC का ध्यान कुछ विशेष चीजों पर केंद्रित है जिनमें शिशु प्रतिरक्षण कार्यक्रम, महामारी रोधी कार्यक्रम, जन्म नियंत्रण कार्यक्रम, गर्भावस्था से संबंधित स्वास्थ्य सेवा और आपात स्थितियाँ शामिल हैं। भारत में 2022 के अंत तक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 1,50,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (AB-HWC) होंगे। भारत में अभी तक 1,59,675 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (AB-HWC) संचालित किए गए हैं, जिनमें 1,20,581 उप-स्वास्थ्य केंद्र स्तर एबी-एचडब्ल्यूसी, 23,501 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर एबी-एचडब्ल्यूसी और 7,562 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर एबी-एचडब्ल्यूसी शामिल हैं। ((Source - AB-HWC Portal, data as on May 2023) AB-HWC की विस्तृत सेवाओं की श्रृंखला प्रदान करने के लिए परिकल्पना की गई है जिनमें प्रतिरक्षण सहित मातृ और शिशु स्वास्थ्य और संचारी रोगों के लिए पहले से ही प्रदान की जा रही सेवाओं के अलावा असंचारी रोगों की देखभाल के साथ-साथ रोकथाम और योग जैसी स्वास्थ्य संवर्धन और कल्याण गतिविधियाँ शामिल हैं। PM-JAY के तहत लाभार्थी कोविड-19 की मुफ्त जाँच और इलाज के लिए भी पात्र हैं। लाभार्थी, PM-JAY के पैनल वाले अस्पतालों के माध्यम से निजी प्रयोगशालाओं में भी जाँच करवा सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य इकाई के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी उपलब्ध हैं। इनका वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और इनके द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से भेजे गए मरीजों को स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में 120,000 लोगों या दूर दराज के क्षेत्रों में 80,000 लोगों की सेवा करता है। इन एजेंसियों के मरीजों को आगे के इलाज के लिए सामान्य अस्पतालों में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार, CHC पहली रेफरल इकाइयाँ या एफआरयू भी हैं, जिनके लिए प्रसूति देखभाल, नवजात/बाल देखभाल, और सप्ताह के हर दिन हर घंटे रक्त भंडारण क्षमता रखना आवश्यक है। 2017 से देश में 5,624 CHC काम कर रहे हैं।

https://vikaspedia.in/health/health-directory/rural-health-care-system-in-india

भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जून 2024 तक 518 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक, 4 महिला मोहल्ला क्लीनिक (महिला क्लीनिक), 174 एलोपैथिक डिस्पेंसरी, 60 प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र (पीयूएचसी), 30 पॉलीक्लीनिक और 39 मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल हैं। क्लीनिक सोमवार से शनिवार तक सुबह 08.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक कार्य करते हैं। आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक की सूची यहाँ पर पाया जा सकता है - https://dgehs.delhi.gov.in/dghs/aam-aadmi-mohalla-clinics

चिकित्सा सुविधाओं में भर्ती (एडमिशन)

सार्वजनिक/निजी अस्पताल में किसी भी इलाज की इच्छा रखने वाले मरीज़ के लिए प्रारंभ में संबंधित चिकित्सा व्यवसायी या विशेषज्ञ से परामर्श करना आवश्यक होता है। चिकित्सक की सिफारिश पर परिवार या मरीज अपना संबंधित अस्पताल के भर्ती विभाग में पंजीकरण करवाता है और आगे के इलाज के लिए भर्ती का अनुरोध प्रस्तुत करता है। भर्ती की प्रक्रिया में आम तौर पर रोगी का चिकित्सीय अतीत, अस्पताल में भर्ती के लिए चिकित्सक की सिफारिश और उचित शुल्क सहित दस्तावेज प्रस्तुत करना शामिल होता है जिसे इलाज की प्रकृति के आधार पर जमा करना होता है जिसके लिए रोगी की सिफारिश की गई होती है। अस्पताल में रोगी की भर्ती से पहले भरे जाने वाले प्रवेश दस्तावेजों को पूरा करने के बाद इलाज के लिए लागू शुल्क जमा करना होता है जिसमें कमरे का किराया और शल्य चिकित्सा उपकरण, चिकित्सीय जाँचों और निर्धारित दवाओं से संबंधित अन्य शुल्क शामिल हैं।
दवा की उपलब्धता और लागत

भारत में फार्मेसियाँ बहुत अधिक संख्या में हैं और यहाँ तक कि दूरस्थ कस्बों में भी मिल सकती हैं। भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है और आवश्यक दवाओं की कीमत सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है। जेनेरिक दवाएं, कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों से भी खरीदी जा सकती हैं। इन केंद्रों की सूची यहाँ मिल सकती है: http://janaushadhi.gov.in/cfa_distri_franch.aspx

स्वदेश लौटने वालों के लिए प्रवेश मार्ग

पात्रता और आवश्यकताएँ: विभिन्न निजी और सार्वजनिक कंपनियों के माध्यम से प्रीमियम के भुगतान पर सामान्य आबादी के लिए स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध है। प्रीमियम प्लान के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं। सरकारी समाज उन्मुख सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना में केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले भारतीय नागरिकों को शामिल किया गया है: http://www.rsby.gov.in/about_rsby.aspx

दस्तावेज या कागजात: आम तौर पर, इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए एक वैध पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस) की आवश्यकता पड़ सकती है।

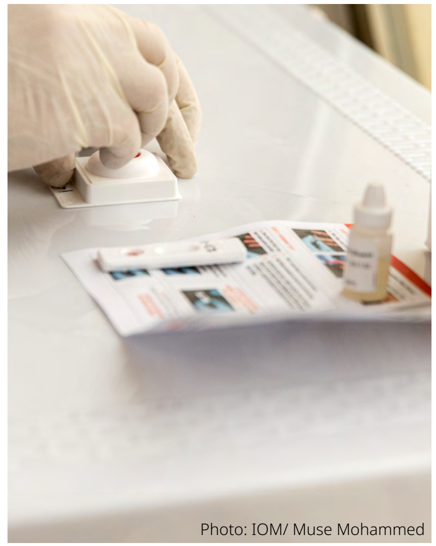
Photo: IOM/ Muse Mohammed

रृंम बाजार पर सामान्य जानकारी

वववश्व बैंक के नवीनतम आकड़ों के अनुसार, भारत में रृंम बल भागीदारी दर लगभग 55.8% (2024) है। अनौपचाररक क्षेत्रक में वनयोवजत अवधकांश रृंमबल वनजी क्षेत्र द्वारा वनयोवजत है। भारत में काफी बड़ा रृंमबल देखते हुए, पुरुष और मवहला भागीदारी में अभी भी स्पष्ट असमानता है। 74.6% पुरुष
भागीदारी दर के मुकाबले मवहला भागीदारी दर 22% (2023) है। https://data.worldbank.org/country/india
वववश्व बैंक के अनुसार 2023 में भारत की प्रवत व्यवआिय (नाममात्र) 2,484.8 डॉलर थी, जबकक क्रय शवसिमानता (पीपीपी) आधार पर इसकी प्रवत व्यवआिय 7762 अमेररकी डॉलर (2023) थी। https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=IN
भारत में 593,729,164 वनयोवजत लोगों (2023) के साथ दुवनया का दूसरा सबसे बड़ा कायवबल है। 2023 में बेरोजगारी की दर 4,7% थी।

रोजगार तलाशना

सरकार ने वववभन्न क्षेत्रकों में उपयुि उम्मीदवारों की भर्ती सुगम बनाने के वलए पूरे देश में 900 से अवधक रोजगार एजेंवसयााँ स्थावपत की हैं। रोजगार चाहने वाले लोग इन रोजगार कायावलयों में अपना पंजीकरण करा सकते हैं और जैसे ही सरकारी क्षेत्रक में कोई ररवि उनके वांवछत प्रोफाइल से मेल खाएगी, उन्हें सूवचत ककया जाएगा। कुछ प्रमुख ऑनलाइन रोजगार पोटवल हैं:
www.naurki.com, www.monsterindia.com, www.timesjob.com, www.placementindia.com, www.jobsadhead.com, https://www.indeed.co.in/
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अवधवनयम (MGNREGA): मनरेगा वह भारतीय रोजगार गारंटी योजना है, जो हर ववत्तीय वषव में सौ कदन रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। यह प्रवत कदन सांवववधक न्यूनतम मजदूरी पर सावववजवनक कायव से संबंवधत अकुशल शारीररक काम करने के इच्छुक ककसी भी ग्रामीण पररवार के वयस्क सदस्यों से संबंवधत है।
उद्योग आयोग या वनदेशालय वववभन्न राज्यों में वे नोडल एजेंवसयााँ हैं जो संबंवधत राज्य में औद्योवगक इकाई शुरू करने में नए उद्यवमयों की सहायता और मागवदशवन करती हैं। राज्य सरकार के रोजगार वनदेशालय की सूची https://dgt.gov.in/ पर वमल सकती है।

बेरोजगारी सहायता

रृंम मंत्रालय के रोजगार और प्रवशक्षण महावनदेशालय द्वारा संचावलत राष्ट्रीय रोजगार सेवा या रोजगार कायावलय एजेंसी काम के अवसरों की मांग और आपूर्तत का बेहतर वमलान प्रदान करती है। रोजगार चाहने वाले लोग इन रोजगार कायावलयों में अपना पंजीकरण कराते हैं और जैसे ही सरकारी सेक्टर में कोई भी ररवि उनके वांवछत प्रोफाइल से मेल खाती है, उन्हें अवधसूवचत ककया जाता है। भारत में कुछ राज्य सरकारें रोजगार कायावलयों में पंजीकृत व्यवियों को तीन वषों से अवधक समय तक बेरोजगारी सहायता प्रदान करती हैं। अवधक जानकारी के वलए संबंवधत स्थानीय वजला आयुि या रोजगार कायावलयों से संपकव ककया जाना चावहए। रोजगार कायावलयों द्वारा आम तौर पर प्रदान की जाने वाली सहायता परामशव के माध्यम से सूचनात्मक होती है जो रोजगार की उपलब्धता और बाजार की मााँग के अनुसार कौशल संवधवन से संबंवधत आवश्यक जानकारी के साथ उम्मीदवारों की सहायता करने का कायव करते हैं।आगे की वशक्षा और प्रवशक्षण
स्वदेश वापस लौटने वाले लोग अपनी बुवनयादी वशक्षा के अलावा आगे की वशक्षा या कौशल प्रवशक्षण तक पहुाँच बना सकते हैं। इसके वलए उन्हें वववभन्न प्रकार के कौशल पाठ्यक्रमों के बीच चुनाव करना होगा।
भारत सरकार के कौशल एवं उद्यवमता मंत्रालय के तत्वावधान में ये कौशल प्रदान ककए जाते हैं। स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों को यहााँ: https://www.skillindia.gov.in/ उपयुि पाठ्यक्रम और संबंवधत पंजीकरण प्रावधकरण वमल सकता है
स्वदेश वापस लौटने वाले लोग मुक्त वशक्षा संस्थानों के माध्यम से आगे की वशक्षा तक पहुाँच बना सकते हैं या अपनी बुवनयादी वशक्षा पूरी कर सकते हैं।
इसके बारे में ववस्तृत जानकारी अवखल भारतीय मुक्त वशक्षा पररषद (AICOE; www.aicoe.in) या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूवलग (www.nios.ac.in) में उपलब्ध है।
स्वदेश वापस लौटने वाले लोग वडस्टेंस लर्ननग (दूरस्थ वशक्षा) प्रदान करने वाले वववभन्न संस्थानों या वववश्वववद्यालयों से चुनाव कर सकते हैं, उदाहरण के वलए, इंकदरा गााँधी राष्ट्रीय मुक्त वववश्वववद्यालय (www.ignou.ac.in)।

2 रृंम बाजार

Photo: Unsplash 2018/ Ibrahim Rifath

आवास संबंधी सामान्य जानकार्री

प्रमुख शहरों में संपवत्त की कीमतें अवधकांश वैवश्वक शहरों के बराबर हैं। गांवों की तुलना में शहरों में ककराया दरें अपेक्षाकृत अवधक हैं।

भारत के नई कदल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में एक औसत बेडरूम अपाटवमेंट पर लगभग INR 20,000 - 35,000 रुपये का खचव आता है। दो या तीन बेडरूम वाले अपाटवमेंट का खचव घर की जगह और शहर के आधार पर 45,000 रुपये लेकर 90,000 रुपये के बीच पड़ता है। जब आप कस्बों और गााँवों का रूख करते हैं तो ये कीमतें अपेक्षाकृत अनुकूल हो जाती हैं। सुववकवसत बाजार की कमी और लंबे समय से चली आ रही आवास की कमी के कारण भारत में घर की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में 2018 में 18.0 वमवलयन घरों की मााँग होने का अनुमान था।

आवास की तलाश करना

अवधकांश घर अचल संपवत्त एजेंवसयों के माध्यम से ककराए पर उपलब् ध कराए जाते हैं जो आम तौर पर असंगरठत होते हैं और छोटा से इलाका कवर करते हैं। आमतौर पर घर के मावलक द्वारा एक महीने का ककराया जमानत के रूप में ररफंडेबल अवग्रम के रूप में वलया जाता है। ककरायेदार का पुवलस सत्यापन अवनवायव है लेककन प्रमुख शहरों को छोड़कर छोटे शहरों और गााँवों में मुवश्कल से ही सत् यापन ककया जाता है। वववभन्न वेबसाइटें भारत में फ्लैट खरीदने या ककराए पर लेने का ववकल्प प्रदान करती हैं: www.99acres.com, www.housing.com www.magicbricks.com

आवास के वलए सामावजक अनुदान

सरकार कई आवास योजनाएाँ चला रही है लेककन इनमें से ज्यादातर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी तक सीवमत हैं। आम तौर पर इन योजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा लागू ककया जाता है। अवधक जानकारी https://www.india.gov.in/topics/housing पर वमल सकती है।

स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों के वलए प्रवेश मागव

स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों के वलए कुछ कदनों के वलए अस्थायी आवास सहायता प्रदान की जाती है वजसमें स्वदेश वापस लौटने वाले को उवचत खचव पर ककराये के घर या गेस्ट हाउस में रखा जाता है वजसका खचव आम तौर पर वापस भेजने वाले देश द्वारा उठाया जाता है। इस आवास का खचव आवास के प्रकार और जगह पर वनभवर करता है। आम तौर पर, एयरकंडीशवनग के वबना एकल आवास वाले होटल के कमरे का खचव प्रवत रात 4,000 रुपये के आसपास और एयरकंडीशवनग के साथ 7,000 रुपये के आसपास आता है। घर/गेस्ट हाउस का ककराया आकार और जगह पर भी वनभवर करता है। आमतौर पर, दो बेडरूम, एक बाथरूम और एक रसोई वाले घर का खचव 15,000 से 20,000 प्रवत माह के बीच आता है। होटल में ठहरने के वलए स्वदेश वापस लौटने वाले को अपना पहचान प्रमाण कदखाना होता है। घर में रहने के वलए पहचान और पुवलस सत् यापन की जरूरत होती है। बेघर लोगों के वलए 194 रैन बसेरे हैं, इनमें से 193 स्थायी हैं। आरृंय स्थलों की कुल क्षमता 16,760 है। गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोवजत आरृंय स् थलों को इस प्रकार वगीकृत ककया जाता है: नशेड़ी, पररवार, मवहलाएं, बच्चे, ववकलांग व्यवि, स् वास्_ यलाभ आरृंय, और सामान्य। कदल्ली में आरृंय स्थलों (shelters) की सूची यहााँ http://delhishelterboard.in/main/?page_id=483 वमल सकती है।

मुंबई में, उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा पाररत मानकों और राष्ट्रीय शहरी आजीववका वमशन शहरी बेघरों के वलए योजना (एनयूएलएम एसयूएच) के कदशा वनदेशों को पूरा करने वाले आरृंयों की सख्त आवश्यकता है। इन कदशा वनदेशों के अनुसार प्रवत दस लाख बेघर लोगों पर आरृंय स्थल होना चावहए। इसवलए सवा करोड़ की मुंबई की आबादी के वलए कम से कम 12 रैन बसेरों की जरूरत है। इन आरृंय स्थलों की कमी से मौत और बीमाररयां बढ़ी हैं। कनावटक में, सरकार ने 8 नगर वनगमों: बीबीएमपी, बेलगाम, बेल्लारी, दावनगेरे, गुलबगाव, हुबली धारवाड़, मंगलौर और मैसूर की स्थापना करके एक पहल की है। वजला उपायुक्ति के अधीन यह टास्कफोसव बनाया गया था। रैन बसेरों के वलए 24x7 हेल्पलाइन के साथ साथ 22 अस्थायी रैन बसेरे स्थावपत ककए गए हैं। सरकार का उद्देश्य इस पहल के माध्यम से इस मसले और ववशेष आवश्यकताओं के बारे में अवधक गहराई से जानने के बाद स्थायी आरृंयों का वनमावण करना है।

Photo: Unsplash 2017/ Pop & Zebra

समाज कल्याण व्यवस्था

राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकारें कई सामावजक सुरक्षा योजनाएँ और कायवक्रम उपलब् ध कराती हैं। हालांकक, ज्यादातर सामावजक सुरक्षा योजनाएँ और कायवक्रम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी जैसे ककवंवचत समूहों पर केंकद्रत हैं। इन कायवक्रमों को आम तौर पर गाँव स्तर की प्रशासवनक इकाइयों द्वारा लागू ककया जाता है वजन्हें पंचायतें कहा जाता है। अवधक जानकारी के वलए वजला आयुकि के पंचायत कायावलय से संपकव करें या राज्य और केंद्र सरकार की वेबसाइट देखें। लाभ: लाभ ववववभन्न उपलब्ध योजनाओं के तहत आवेदकों की पात्रता पर वनभवर करते हैं। लागत: लागत आवेदकों की पात्रता के आधार पर उपलब्ध सामावजक योजनाओं के सापेक्ष होती है।

पेंशन प्रणाली

कमवचारी पेंशन योजना अवनवायव है और रोजगार की वस्थवत से जुड़ी है। राष्ट्रीय सामावजक सहायता कायवक्रम में केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी या शारीररक रूप से ववकलांग लोगों को शावमल ककया गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक स्वैवच्छक, पररभावषत अंशदान सेवावनवृवत्त बचत योजना है वजसे अंशदाताओं को समथव बनाने के वलए तैयार ककया गया है। यह उनके कामकाजी जीवन के दौरान व्यववस्थत बचत के माध्यम से उनके भववष्य के बारे में बेहतरीन वनणवय लेने के वलए है। वषव 2009 से, एनपीएस स्वैवच्छक आधार पर असंगरठत क्षेत्र के कामगारों सवहत सभी नागररकों के वलए उपलब्ध है।

स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों के वलए प्रवेश मागव

पात्रता और आवश्यकताएं: ववववभन्न उपयोगी योजनाएं होने से पात्रता आर्तथक वस्थवत, आयु, अल्पसंख्यक या जावतगत वस्थवत, वलग आकद पर वनभवर करती है।

पंजीकरण प्रकक्रया: संबंवधत पंजीकरण के बारे में अवधक जानकारी के वलए स्थानीय वजला कायावलय या पंचायत से संपकव करें।

आवश्यक दस्तावेज: आधार काडव, आय प्रमाणपत्र, मतदाता पहचानपत्र, पैन काडव, राशन काडव, पासपोटव आकद।

अवधक जानकारी वनम्नवलवखत वेबसाइटों से वमल सकती है:

- https://india.gov.in/spotlight/national-pension-system-retirement-plan-all
- https://npscra.nsdl.co.in/download/pdf/NPS%20Booklet.pdf

लागत: रटयर I और रटयर II खातों में अंशदान करने के वलए, अंशदाता को NCIS (NPS अंशदान अनुदेश पची) फॉमव के साथ ककसी भी पीओपी एसपी में पंजीकरण के वलए आवेदन करते समय अपना पहला अंशदान (रटयर I के वलए न्यूनतम अंशदान 500 रुपये और रटयर II के वलए 1000 रुपये) करना होता है।

NPS अंशदाता को वनम्नवलवखत शतों के अधीन अंशदान करना होता है:

- खाता खोलते समय न्यूनतम रावश: 500 रुपये
- प्रवत अंशदान न्यूनतम रावश: 500 रुपये
- प्रवत वषव न्यूनतम अंशदान: 6,000 रुपये
- एक वषव में अंशदान की न्यूनतम संख्या: कोई अवधकतम सीमा अवनवायव नहीं की गई है और अंशदाता अपने अंशदान की आवृवत्त पर वनणवय ले सकते हैं।

रटयर II के वलए, न्यूनतम अंशदान आवश्यकताएँ हैं:

- खाता खोलते समय न्यूनतम अंशदान: 1000 रुपये
- प्रवत अंशदान न्यूनतम रावश: 250 रुपये
- प्रत्येक ववत्तीय वषव के अंत में 2000 रुपये का न्यूनतम शेष बनाए रखें।

लाभ NPS एक पारदशी और लागत प्रभावी प्रणाली है वजसमें पेंशन अंशदान का पेंशन फंड योजनाओं में वनवेश ककया जाता है। कमवचारी कदन प्रवतकदन के आधार पर वनवेश का मूल्य जान सकते हैं। सभी अंशदाताओं को जो काम करना होता है, वह है अपने नोडल कायावलय में खाता खोलना और स्थायी सेवावनवृवत्त खाता संख्या (PRAN) प्राप्त करना। प्रत्येक कमवचारी की एक अवद्ववतय संख्या से पहचान होती है और उसके पास एक अलग पीआरएएन होता है जो पोटेबल होता है यानी अगर कमवचारी का ककसी अन्य कायावलय में तबादला हो जाता है तो यह वही रहता है। एनपीएस का वववनयमन पेंशन वनवध वववनयमाक और ववकास प्रावधकरण करता है।

4 समाज कल्याण

स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों के वलए प्रवेश मागव

प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी)/प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस सर्तवस प्रोवाइडर (पीओपी एसपी) को अपने आवेदन प्रस्तुत करते समय 18 से 60 वषव की आयु के बीच के भारत के सभी नागररक एनपीएस में शावमल हो सकते हैं।

कोई भी व्यवक्तवनम् नांककत प्रकक्रया का पालन करके एनपीएस में अंशदाता के रूप में पंजीकरण करा सकता है:

1. एनपीएस में स्थायी सेवावनवृवत्त खाता (PRA) (रटयर I और/या रटयर II) खोलने के वलए पीओपी एसपी को अन्य सहायक केवाईसी दस्तावेजों के साथ ववववधवत भरा हुआ यूओएस एस1 फॉमव प्रस् तुत करें

केवल रटयर II खाते के वलए, सकक्रय रटयर I खाता रखने वाले व्यवक्तको संबद्ध पीओपी एसपी से संपकव करना और एक नए ववडो में खुलने वाली यूओएस एस10 फॉमव (रटयर II सकक्रयण फॉमव) पीडीएफ फाइल के साथ पीआरएएन काडव की प्रवत प्रस्तुत करना चावहए

2. पीओपी एसपी द्वारा फॉमव मान्य ककया जाएगा और अंशदाता को एक पावती संख् या प्रदान की जाएगी

आवश्यक दस्तावेज:

-केवाईसी दस्तावेज

कमजोर या सुभेद्य समूह

कमजोर या सुभेद्य समूह (जैसे कक ववकलांग और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग) अपनी संवेदनशीलता के आधार पर सरकारी योजनाओं के तहत ववववभन्न लाभों के हकदार हैं। इसमें सरकारी नौकररयों में आरक्षण, ररयायती स्वास्थ्य सेवा सुववधाएँ और ररयायती राशन/खाद्य सामग्री शावमल है। सरकारी योजनाओं के बारे में अवधक जानकारी संबंवधत वजलावधकारी के कायावलय से उपलब्ध हो सकती है, उदाहरण के वलए:

वजला मवजस्ट्रेट का कायावलय नई कदल्ली, पुराना गागी कॉलेज भवन, 24 राष्ट्रीय उद्यान रोड, लाजपत नगर चतुथव, नई कदल्ली, कदल्ली, 110024; फोन: 011 2647 6402

वजला मवजस्ट्रेट (DM) कायावलय मुंबई, पुराना कस्टम हाउस, शावहद भगत वसह मागव, फोटव, मुंबई, महाराष्ट्र, 400001; फोन: 022 2266 3453

वजला मवजस्ट्रेट (DM) कायावलय चेन्नई, 62 राजाजीसलाई चौथी मंवजल, चेन्नई, तवमलनाडु, 600001; फोन: 044 2522 8025

उपायुक्तकायावलय (DC Office), वजला प्रशासवनक पररसर, होवशयारपुर, 146001, पंजाब; फोन: 01882220301

Photo: Unsplash 2016/ Abhas Mishra

वशक्षा संबंधी सामान्य जानकारी

अवधकांश शहरों और कस्बों में सरकारी और वनजी, दोनों तरह के स्कूल हैं। हालांकक, वशक्षा पर होने वाले खचव और उसकी गुणवत्ता में अंतर हो सकता है। भारत के अवधकांश वहस्सों में शैवक्षक सत्र जून / जुलाई में शुरू होता है। इसवलए, इच्छुक छात्रों को पहले से ही आवेदन करके रखना चावहए। प्राथवमक ववद्यालय या प्राइमरी स्कूल (ग्रेड 1 से 8) ज्यादातर गांवों में उपलब्ध हैं। हाई स्कूल की वशक्षा (ग्रेड 9 से 12) के वलए बच्चों को पास के गांव / कस्बे में जाना पड़ सकता है। मान्यता प्राप्त स्कूलों के वववरण के वलए संबंवधत वशक्षा राज्य बोडों से संपकव करें। कॉलेज और व्यावसावयक प्रवशक्षण संस्थान ब्लॉक और वजला स्तर पर वस्थत हैं। ववश्वववद्यालय (यूवनवर्तसटी) अवधकांश प्रमुख शहरों में वस्थत हैं। 789 ववश्वववद्यालयों और 37,204 से अवधक संबद्ध कॉलेजों में 20 वमवलयन से अवधक छात्रों के नामांकन के साथ, भारतीय उच्च वशक्षा एक बड़ी और जरटल प्रणाली है। 60 ववश्वववद्यालयों से संलग्न 66 संस्थानों के माध्यम से दूरस्थ वशक्षा भी उपलब्ध है। इसके अलावा 11 मुविवश्वववद्यालय (ओपन यूवनवर्तसटी) भी वशक्षा प्रदान कर रहे हैं। सभी ववश्वववद्यालयों, कॉलेजों, बोडों और व्यावसावयक प्रवशक्षण संस्थानों की जानकारी https://mhrd.gov.in/institutions पर प्राप्त की जा सकती है।

प्रवेश:
प्रवेश के वलए, आम तौर पर वनम्न दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:

- आवेदन / पंजीकरण फॉमव
- पासपोटव साइज फोटोग्राफ, माकवशीट और पास सर्टटकफकेट
- जन्म वतवथ का प्रमाण (आमतौर पर आपकी दसवीं कक्षा की माकवशीट या पास सर्टटकफकेट
- वजसमें जन्म वतवथ उवल्लवखत हो)
- स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र (वपछले स्कूल द्वारा जारी)
- अवधवास प्रमाण पत्र / आवासीय प्रमाण या प्रमाण पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र (यकद गृह राज्य के बाहर के कॉलेज में आवेदन करना है), चररत्र प्रमाण पत्र (आमतौर पर आपकी वपछली संस्था से)
- अनुसूवचत जावत / अनुसूवचत जनजावत / अन्य वपछड़ी जावत के प्रमाण पत्र (यकद इन श्रेवणयों के तहत आवेदन ककया गया हो), समुदाय प्रमाण पत्र (यकद इस तरह के कोटा के वलए आवेदन ककया गया है)
- अंतराल वाले छात्रों (Gap students) को ववशेष क्षेत्रावधकार वाले ककसी न्यायालय से एक हलफनामा प्राप्त करना आवश्यक है
- प्रवास प्रमाण पत्र

लागत, ऋण और वजीफा

वशक्षा की लागत में व्यापक रूप से अंतर है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान बहुत न्यूनतम दर पर वशक्षा प्रदान करते हैं जबकक वनजी संस्थानों में इसकी अपेक्षा वशक्षा काफी महंगी है। जो छात्र अपनी ट्यूशन फीस वहन करने में असमथव हैं, वे छात्र ऋण के वलए पात्र हो सकते हैं जो कक ऋण के वलए व्यवक्तगत छात्रों की पात्रता वनधावररत करने के बाद वववभन्न साववजवनक और वनजी बैंकों द्वारा प्रदान ककए जाते हैं। छात्र ऋण आम तौर पर बैंकों द्वारा ररयायती दर पर कदए जाते हैं। इस तरह के ऋण का लाभ उठाने के वलए छात्रों को उनके द्वारा जमा ककए गए सभी शैक्षवणक दस्तावेजों और प्रस्ताववत अध्ययन के पाठ्यक्रम की ववश्वसनीयता सुवनवित ककए जाने के आधार पर मानदंडों को पूरा करना चावहए। आगे की जानकारी सीधे चुने गए बैंक से संपकव करके प्राप्त की जा सकती है।

ववदेश में प्राप्त वडप्लोमा की स्वीकृवत और सत्यापन

उच्च वशक्षा में प्रवेश के वलए मान्यता प्राप्त ववदेशी ववश्वववद्यालयों द्वारा प्रदान की गई वडग्री की तुलना का कायव कदल्ली में अंतर ववश्वववद्यालय बोडव के मूल्यांकन प्रभाग को कायव सौंपा गया है।

वापसी करने वालों के वलए प्रवेश मागव

पंजीकरण प्रकक्रया: मीवडया और अखबार के माध्यम से हर वषव एक बार साववजवनक और वनजी स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश की घोषणा की जाती है। वनम्नवलवखत दस्तावेजों के साथ प्रवेश के वलए स्कूलों से सीधे संपकव ककया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज: बच्चे का पासपोटव आकार का एक फोटो, ककसी मान्यता प्राप्त स्कूल द्वारा स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र या, एमसीडी या ककसी अन्य स्थानीय वनकाय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की मूल प्रवत, वपछली उत्तीणव हुई कक्षा की माकव शीट। वनवास प्रमाण के रूप में वनम्नवलवखत दस्तावेजों में से कोई भी: माता-वपता के नाम पर जारी बीपीएल या राशन, वजसमें बच्चे का नाम हो।
बच्चे या माता-वपता का अवधवास प्रमाण पत्र।
वपता या माता का वोटर आईडी काडव।
माता-वपता के नाम पर वबजली / एमटीएनएल लैंडलाइन / पानी का वबल।
बच्चे या माता-वपता के नाम पर बैंक पासबुक।
बच्चे या माता-वपता का आधार काडव।
माता-वपता या बच्चे में से ककसी के नाम का पासपोटव।
माता-वपता का ड्राइववग लाइसेंस।
जावत का प्रमाण पत्र (अनुसूवचत जावत / अनुसूवचत जनजावत / अन्य वपछड़ी जावत के मामले में)।
ववकलांगता का प्रमाण पत्र।

Photo: Unsplash 2018/ Nikitha S

6 बच्चे

बच्चों और वशशुओं की सामान्य वस्थवत

भारत में 472 वमवलयन बच्चे (1-17 वषव) हैं। यह देश में कुल जनसंख्या का 39% वहस्सा है (जनगणना 2011)।
उनमें से 30% से अवधक (लगभग 385 वमवलयन बच्चे) अत्यवधक गरीबी में रहते हैं, जो कक दवक्षण एवशया में सबसे अवधक संख्या है।
यूवनसेफ और ववश्व बैंक:
https://www.unicef.org/publications/files/Ending_Extreme_Poverty_A_Focus_on_Children_Oct_2016.pdf)
अवधकार: भारतीय संववधान देश के नागररकों के रूप में बच्चों को समान अवधकार प्रदान करता है। भारत ने बाल अवधकारों पर संयुरिाष्ट्र अवभसमय की भी पुवष्ट की है। ववशेष रूप से बच्चों के वलए संवैधावनक गारंटी में सवम्मवलत हैं:

- 6-14 वषव आयु वगव के सभी बच्चों के वलए मुफ़्त और अवनवायव प्राथवमक वशक्षा का अवधकार (अनुच्छेद 21A)
- 14 वषव की आयु तक ककसी भी खतरनाक रोज़गार से सुरवक्षत रहने का अवधकार (अनुच्छेद 24)
- दुव्यववहार और आर्तथक आवश्यकता से मजबूर होकर अपनी उम्र या शवक्त के अनुपयुि व्यवसाय में प्रवेश से संरक्षण का अवधकार (अनुच्छेद 39 (e))
- स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता व गररमा के साथ ववकास के समान अवसरों व सुववधाओं, और शोषण तथा नैवतक व भौवतक पररत्याग के ववरुद्ध बचपन व युवावस्था की सुरक्षा की गारंटी का अवधकार (अनुच्छेद 39 (f))
- छह वषव की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों को बचपन की देखभाल और वशक्षा का अवधकार (अनुच्छेद 45)

बच्चों की भलाई और उनके अवधकारों के वलए कायव करने वाले (गैर-) सरकारी सकक्रयक

- चाइल्डलाइन इंवडया फाउंडेशन: चाइल्डलाइन सहयोग और सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों के वलए भारत की पहली 24-घंटे, वनःशुल्क, आपातकालीन फोन सेवा है।
- हेल्पलाइन नंबर: 1098
- अववस्थवत (Location): अवखल भारतीय
- बाल अवधकार और आप (Child Rights and You - CRY): CRY एक प्रवसद्ध संगठन है, जो 1970 से बाल कल्याण की कदशा में काम कर रहा है - उन्हें वशवक्षत करने, बालश्रम और बाल शोषण को खत्म करने में मदद कर रहा है।
- स्थान: मुंबई, बैंगलोर, कदल्ली, चेन्नई और कोलकाता।
- सेव द वचल्ड्रन: ये बच्चों को गुणवत्तापूणव वशक्षा और स्वास्थ्य सेवा, नुकसान और दुव्यववहार से सुरक्षा, और आपात वस्थवत के दौरान जीवन रक्षक सहायता उपलब्ध कराने के वलए देश में दूर दूर तक वस्थत स्थानों और शहरी क्षेत्रों में कायवक्रम चलाते हैं।

स्थान: ये 19 भारतीय राज्यों में मौजूद हैं, और इनका मुख्यालय नई कदल्ली में है।

Photo: Unsplash 2017/ Lauren Joseph

Photo: Unsplash 2018/ Sarthak Kwatra

7 संपकव

आईओएम; यूनेस्को हाउस, ग्राउंड फ्लोर, 1, सैन मार्टटन मागव, चाणक्य पुरी, नई कदल्ली -110012 फोन- + 91 11 24100026, iomnewdelhi@iom.int

यूनेस्को; नई कदल्ली क्लस्टर कायावलय, 1, सैन मार्टटन मागव, चाणक्यपुरी, नई कदल्ली, कदल्ली 110021; फोन: 011 2611 1873

संयुिराष्ट्र ववकास कायवक्रम; जोसेफ स्टीन लेन, लोधी गाडवन, 55 लोधी एस्टेट, नई कदल्ली, कदल्ली 110003; दूरभाष: 011 4653 2333; इंटरनेट: www.in.undp.org

संयुिराष्ट्र बाल कोष (यूवनसेफ); 73, लोदी एस्टेट, लोदी गाडवन के पास, नई कदल्ली, 110003; दूरभाष: 011 2469 0401; इंटरनेट: www.unicef.in

अंतरावष्ट्रीय र्ंवमक संगठन; इंवडया हैववबटेट सेंटर, कोर 4B, तीसरी मंवजल, लोधी रोड, नई कदल्ली, कदल्ली 110003 Tel .: 011 2460 2101 इंटरनेट: www.ilo.org

शरणार्तथयों के वलए संयुिराष्ट्र के उच्चायुि(UNHCR) का कायावलय; बी 2/16, वसंत ववहार, नई कदल्ली, कदल्ली, 110057; दूरभाष: 011 4353 0444, इंटरनेट: http://www.unhcr.org.in/

संयुिराष्ट्र मवहला, 83, ब्लॉक सी, वडफेंस कॉलोनी, नई कदल्ली, कदल्ली 110024, तेल .: 011 4045 2300, इंटरनेट: www.india.unwomen.org

राष्ट्रीय कौशल ववकास पररषद, 01-306, वल्डव माकव 1, वेस्ट ववग, एयरोवसटी, नई कदल्ली, कदल्ली 110037, 011 4745 1600

बॉम्बे हॉवस्पटल एंड मेवडकल ररसचव सेंटर, 12, मरीन लाइन्स, मुंबई, 400 020, भारत

लीलावती अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, ए-791, बांद्रा ररक्लेमेशन, बांद्रा पवि म, मुंबई, 400050, भारत

जसलोक हॉवस्पटल एंड ररसचव सेंटर, 15, डॉ देशमुख मागव, पेडर रोड, आईटी कॉलोनी, तारकदओ, मुंबई, महाराष्ट्र पी डी वहदुजा अस्पताल, वीर सावरकर मागव, मावहम, मुंबई, 400016 भारत

कोककलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल और वचककत्सा अनुसंधान केंद्र, राव साहेब अचुतराव, पटवधवन मागव, चार बंगला, मुंबई 400053, भारत

सर गंगा राम अस्पताल मागव, राजवदर नगर, नई कदल्ली, कदल्ली, 110060, भारत

बीएलके सुपर स्पेशवलटी अस्पताल, पूसा रोड, राजवदर नगर, नई कदल्ली, कदल्ली 110005, भारत

इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, कदल्ली, कदल्ली मथुरा रोड, जसोला अपोलो मेट्रो स्टेशन के पास, सररता ववहार, नई कदल्ली, कदल्ली 110076, भारत

7 संपकव

फोर्टटस अस्पताल, फोर्टटस अस्पताल, ए ब्लॉक, शालीमार बाग, नई कदल्ली, कदल्ली, 110088, भारत

आज़ाद फाउंडेशन, W-114, पहली मंवजल, ग्रेटर कैलाश II, नई कदल्ली 110048; दूरभाष: +91 11 4060 1878, ईमेल: azadfoundation@gmail.com; वेबसाइट: http://www.azadfoundation.com/

'लॉयसव कलेवक्टव' की मवहला अवधकार इकाई, ए -13, प्रथम तल, वनजामुद्दीन पवमि, नई कदल्ली 110013, फोन: 011 41666385

आसरा, आगृवत सोसायटी, बी / 117, एल जे रोड, माटुंगा (पवमि), मुंबई, महाराष्ट्र - 400016, 022 24453857

इंटरनेशनल सेंटर फॉर ररसचव ऑन ववमेन, सी -59, साउथ एक्स पाटव II, ब्लॉक सी, साउथ एक्सटेंशन II, कदल्ली 110049, फोन: 011 46643333

चाइल्डलाइनइंवडया, 24-घंटे हेल्पलाइन नंबर: 1098

सेव द वचल्ड्रन, बाल रक्षा भारत, पहली और दूसरी मंवजल, प्लॉट नंबर 91, सेक्टर - 44, गुड़गाँव (हररयाणा) - 122003, भारत
फोन: +91 124 4752000, 4752100

8 एक नजर में

वापसी से पहले ककए जाने वाले उपाय

- जमवन अवधकाररयों से दस्तावेजों का अनुरोध करें वजनकी बाद में आवश्यकता हो सकती है।
- पररवार के सदस्यों के साथ वापसी का समन्वय।
- प्रवास के दौरान प्राप्त वशक्षा / व्यावसावयक कौशल के प्रमाण पत्र (यकद कोई हो तो), कायव / रोजगार का प्रमाण पत्र (यकद कोई हो तो), वनरोध केंद्र में वबताए गए समय का प्रमाण पत्र (यकद कोई हो तो) का अनुरोध करें।
- आरोग्य प्रमाण पत्र या वचककत्सा पची (यकद कोई हो तो)।
- हवाई अड्डे पर आगमन और आगे की यात्रा के संबंध में वनम्नवलवखत जानकारी पर ध्यान दें:
- यकद ककसी को छोटे शहर में जाना है, तो कम लागत वाली एयरलाइनों से उन जगहों का संपकव नहीं भी हो सकता है। भारतीय एयरलाइंस या जेट एयरवेज़ जैसी प्रमुख एयरलाइंस पर वनभवर रहना पड़ सकता है।
- ककसी बड़े शहर के वलए उड़ान भरना और ट्रेन लेना उवचत हो सकता है। रेलवे के रटकट अवधकांश रेलवे स्टेशनों पर काउंटरों के साथ-साथ ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। भारतीय रेल की वेबसाइट: www.indianrail.gov.in
- रटकट बुककग: www.irctc.co.in

आगमन पर तुरंत ककए जाने वाले उपाय

- वैध आईडी के वलए आवेदन करना।
- खाते में (पुन:)पंजीकरण के ववषय में वनम्न जानकारी लेना:
- भारतीय नागररकों को ककसी भी प्रावधकरण के साथ ककसी भी तरह के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। आगमन पर इमीग्रेशन ब्यूरो हवाई अड्डे पर एक संवक्षप्त साक्षात्कार कर सकता है।
- पेंशन बीमा / कमवचारी पेंशन योजनाएं आमतौर पर वनयोोिओं (रोजगार देने वाले) द्वारा प्रदान की जाती हैं। यकद कोई पहले से ही पंजीकृत है, तो ककसी भी तरह के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
- स्वास्थ्य बीमा एक प्रीवमयम के भुगतान पर उपलब्ध है (देखें "हेल्थकेयर" अनुभाग)। सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं आमतौर पर केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के वलए होती हैं।
- उस क्षेत्र में चल रही सरकारी योजनाओं को समझने के वलए स्थानीय ग्राम स्तरीय प्रशासवनक इकाई (ग्राम पंचायत), खंड ववकास अवधकारी या वजला मवजस्ट्रेट कायावलय से संपकव करें।
- रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के वलए रोजगार वेबसाइटों / स्थानीय रोजगार ववववनमय पर नामांकन।
- कौशल उन्नयन के वलए भारत सरकार द्वारा चल रहे कौशल ववकास कायवक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें।